कर्मचारी पेंशन योजना

(1995)

कर्मचारी
पेंशन योजना,
1995
(दिनांक 01.10.2008 तक अद्यतन)

कर्मचारी पेंशन योजना,1995

सारणी

1. नाम संक्षेप, प्रारम्भ तथा लागू करना

2. परिभाषाएं

3. कर्मचारी पेंशन निधि

4. अंशदान का भुगतान

5. किन्हीं अंशदानों के भुगतान में चूक करने पर क्षति की वसूली

6. कर्मचारी पेंशन निधि की सदस्यता

6क सदस्यता को बनाए रखना

7. योजना में आने(सदस्य बनने) के लिए विकल्प

8. शंकाओं का निराकरण

9. पात्र सेवा का निर्धारण

10. पेंशन योग्य सेवा का निर्धारण

11. पेंशन योग्य वेतन का निर्धारण

12. मासिक सदस्य पेंशन

12क ********

13. *********

14. मासिक सदस्य पेंशन का पात्र बनने से पहले ही नौकरी छोडने पर लाभ

15. सेवा के दौरान स्थायी एवं पूर्ण अपंगता पर लाभ

16. सदस्य की मृत्यु पर परिवार को लाभ

16क पेशंन योग्य लाभ की गारंटी

17. विकल्प देने पर भुगतान

17क पेंशन का भुगतान

18 कर्मचारी पेंशन योजना के प्रारम्भ के समय पहले से ही नियोजित कर्मचारियों द्वारा दिया जाना वाला विवरण

19 अंशदान कार्डो का बनाना

20 नियोक्ताओ की जिम्मेदारियां

21 नियोक्ता मालिकाना संबधी विवरण देगा

22 ठेकेदारों की जिम्मेदारियां

23 खाता संख्याओ का आबंटन

24 निधि की स्थापना के पश्चात नियोजन(रोजगार) प्राप्त करने वाले व्यक्तियों द्वारा घोषणा-पत्र

25 कर्मचारी पेंशन निधि खाता

26 कर्मचारी पेंशन निधि का विनियोजन(निवेश)

27 निधि का निस्तारण

28 प्रशासन खाता

29 खातों के प्रपत्र

30 लेखा परीक्षा

31 परिलाभों का पूर्णांकंन

32 कर्मचारी पेंशन निधि का मूल्यांकन तथा अंशदान तथा पेंशन और अन्य परिलाभों के परिमाण का पुनरावलोकन

33 पेंशन तथा अन्य परिलाभों का वितरण

34 रजिस्टर,रिकार्ड आदि

35 निर्देश देने की शक्ति

36 क्षेत्रीय समिति

37 वार्षिक रिपोर्ट

38 कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के प्रावधानों का लागू करना

39 पेंशन योजना के लागू होने से छूट

39क विवरणी को प्रस्तुत करना

39ख अंतरण मूल्य

40 केन्द्रीय सरकार को सूचनायें भेजना

41 व्याख्या

42 विवरणिका आदि प्रस्तुत करने में असफल होने पर सजाएं

43 हत्या के अपराध में अभियुक्त व्यक्ति को पेंशन का भुगतान

43क अन्तरराष्ट्रीय कामगारों के लिए विशेष प्रावधान

44 समाप्ति एवं सुरक्षायें

सारणियां

कर्मचारी पेंशन योजना,1995

कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 की धारा 6-ए के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा निम्नलिखित योजना बनाती है यथा : -

1. नाम संक्षेप, प्रारम्भ तथा लागू होना-

(1) यह योजना कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 कहलायेगी

(2) (क) यह योजना 16 नवम्बर 1995 को प्रभावी होगी ।

(ख) इस योजना के प्रावधानों के अधीन रहते हुए 1 अप्रेल 1993 से इस योजना के सदस्य बनने के लिए कर्मचारी विकल्प दे सकेंगे ।

(3) कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 की धारा 16 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, उन सभी कारखानों और संस्थानों, जिन पर कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 लागू होता है या उसकी
धारा 1 की उपधारा (3) अथवा (4) अथवा धारा 3 के अन्तर्गत लागू किया गया है, के कर्मचारियों पर यह योजना लागू होगी ।

2. परिभाषाएं :-

(1) इस योजना में जब तक अन्यथा संदर्भ आवश्यक न हो –

(i) "**अधिनियम**" से तात्पर्य है – कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19 वाँ)

(ii) "**वास्तविक सेवा**" का तात्पर्य है – 16 नवम्बर 1995 या किसी संस्थान में कार्य आरम्भ करने की तारीख जो बाद की हो, से इस अधिनियम के अन्तर्गत आवृत संस्थान की नौकरी छोडने की तारीख तक की गई सेवा की कुल अवधि ;

(iii)"**आयुक्त**" का तात्पर्य है - अधिनियम की धारा 5-डी के अन्तर्गत नियुक्त कर्मचारी भविष्य निधि का आयुक्त ;

(iv) "**अंशदायी सेवा** "का तात्पर्य है – की गई वास्तविक सेवा की वह अवधि, जिसके लिए निधि के लिए अंशदान (प्राप्त किया गया या प्राप्त किया जाना है)

(v) "**पात्र सेवा**" का तात्पर्य है - वह कर्मचारी जो कर्मचारी पेंशन का सदस्य बनने का पात्र है ;

(vi) "**विद्यमान सदस्य**" का तात्पर्य है – विद्यमान वह कर्मचारी जो कि कर्मचारी परिवार पेंशन योजना 1971 का सदस्य है ;

(vii) "**परिवार**" का तात्पर्य है –

(1) कर्मचारी पेंशन योजना के पुरूष सदस्य के मामले में पत्नी ,

(2) कर्मचारी पेंशन योजना के स्त्री सदस्य के मामले में पति, और

(3) कर्मचारी पेंशन योजना के सदस्य के पुत्र और पुत्रियां

स्पष्टीकरण - "पुत्र" और "पुत्रियों" के निहितार्थ में सदस्य द्वारा वैधानिक रूप से गोद लिए गए बच्चे भी शामिल है ;

(viii) **"पेंशन"** का तात्पर्य है - कर्मचारी पेंशन योजना के अन्तर्गत देय पेंशन और इसमें 16 नवम्बर 1995 से कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के प्रभावी होने के तत्काल पूर्व कर्मचारी परिवार पेंशन योजना, 1971 के अन्तर्गत निहित और देय परिवार पेंशन भी शामिल है ;

(ix) "**सदस्य**" से तात्पर्य है – वह कर्मचारी, जो इस योजना के प्रावधानों के अनुसार कर्मचारी पेंशन निधि का सदस्य बनता है ;

(**स्पष्टीकरण** - किसी भी कर्मचारी की 58 वर्ष आयु प्राप्त करने की तारीख या देय लाभ प्राप्त करने का हक मिलने की तारीख, जो भी पहले हो, से पेंशन निधि की सदस्यता समाप्त हो जाएगी ।)

(x) "**बिना अंशदान की सेवा**" का तात्पर्य है – कर्मचारी द्वारा की गई वास्तविक सेवा की वह अवधि , जिसके लिए कर्मचारी पेंशन निधि में कोई अंशदान (प्राप्त नहीं या प्राप्त नहीं किया जाना है।)

(xi) "**अनाथ**" से तात्पर्य है – वह व्यक्ति, जिसके माता या पिता कोई भी जीवित नहीं है ।

(xii) "**पिछली सेवा**" का तात्पर्य है – विद्यमान सदस्य द्वारा कर्मचारी परिवार पेंशन का सदस्य बनने की तारीख से 15 नवम्बर, 1995 कर की गई सेवा की अवधि ;

(xiii) **"वेतन"** का तात्पर्य है – मंहगाई भत्ते सहित मूल वेतन, रिटेनिंग अलाउंस, और खाद्य राहत का देय नकद मूल्य, यदि कोई हो ;

(xiv) "**पेंशन निधि**" का तात्पर्य है – अधिनियम की धारा 6-ए की उपधारा (2) के अन्तर्गत स्थापित कर्मचारी पेंशन निधि ;

(xv) "**पेंशन योग्य सेवा**" का तात्पर्य है – सदस्य द्वारा की गई वह सेवा, जिसके लिए अंशदान (प्राप्त कर लिए गए हैं या प्राप्त करना है ;)

(xvi) "**स्थायी एवं पूर्ण अपंगता** " का तात्पर्य है – स्थायी प्रकृति की ऐसी अपंगता, जिससे एक कर्मचारी वे सभी काम करने में असमर्थ हो जाता है, जो कि वह ऐसी अपंगता के समय करने में सक्षम था चाहे ऐसी अपंगता कार्य के दौरान हुई हो या अन्यथा हुई हो ;

(xvii) "**सारणी**" का तात्पर्य है – इस योजना के साथ लगाई गई सारणी ;

(xviii) अधिनियम में परिभाषित एवं शब्द योजना, जो कि इस योजना में परिभाषित नहीं किए गए हैं, का वही तात्पर्य होगा जैसा उन्हे अधिनियम में दिया गया है ।

3. कर्मचारी पेंशन निधि

(1) अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत या अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के खण्ड (ए) या (बी) के अन्तर्गत छूट प्राप्त संस्थान के या जिस संस्थान के कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैराग्राफ 27 या 27-ए के अन्तर्गत छूट प्रदान की गई है, के भविष्य निधि नियमों के अन्तर्गत प्रत्येक माह नियोक्ता द्वारा देय अंशदानों में से कर्मचारियों के वेतन के 8.33 प्रतिशत के बराबर का एक भाग कर्मचारी पेंशन निधि अंशदान के रूप में प्रत्येक माह की समाप्ति से 15दिनों की अवधि में नियोक्ता द्वारा अलग बैंक डाफ्ट या चैक के द्वारा, इस सम्बन्ध में आयुक्त द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कर्मचारी पेंशन निधि में जमा कराया जाएगा । ऐसे भुगतानों का यदि कोई व्यय हो तो वह नियोक्ता द्वारा वहन किया जाएगा ।

(2) केन्द्रीय सरकार भी पेंशन निधि के सदस्यों के वेतन का 1.16 प्रतिशत की दर से अंशदान देगी और उस अंशदान को कर्मचारी पेंशन निधि में जोडेगी ।

परन्तु, जहां सदस्य का वेतन (छः हजार पाँच सौ रूपए) प्रतिमाह से अधिक हो तो नियोक्ता और केन्द्रीय सरकार द्वारा देय अंशदान उसके (छः हजार पाँच सौ रूपए) तक के वेतन तक ही सीमित रहेगा ।

(3) उपपैरा (1) व (2) के अन्तर्गत देय अंशदान निकटतम रूपए में गणनीय होगा, पचास पैसे या अधिक को रूपया गिना जाएगा और रूपए के पचास पैसे से कम भाग को समाप्त कर दिया जाएगा ।

(4) कर्मचारी परिवार पेंशन योजना, 1971 की कुल परिसम्पत्तियां कर्मचारी पेंशन निधि में निहित एवं हस्तांतरित हो गई हैं ।

4. अंशदान का भुगतान

(1) नियोक्ता सीधे स्वंय के द्वारा या किसी ठेकेदार के द्वारा या माध्यम से नियोजित कर्मचारी पेंशन निधि के (प्रत्येक सदस्य) के संबंध के कर्मचारी पेंशन निधि में देय अंशदान का भुगतान करेगा ।

(2) मुख्य नियोक्ता की यह जिम्मेदारी होगी कि वह अपने द्वारा सीधे नियोजित कर्मचारियों के संबंध में और किसी ठेकेदार के द्वारा या माध्यम से नियोजित कर्मचारियों के संबंध में कर्मचारी पेंशन निधि में देय अंशदानों का भुगतान करे ।

11[बशर्ते केन्द्र सरकार, उस कर्मचारी के संबंध में जो विकलांग्ता है,विकलांग व्यक्तियों(समान अवसर,अधिकार एवं पूर्ण सहभागिता) हेतु अधिनियम 1995(1996का 1)के अंतर्गत तथा आत्मविमोही(Autism),प्रमस्तिष्क घात(Cerebral Palsy),मानसिक अवरुद्धता एवं बहुल विकलांगता वाले व्यक्तियों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999(1999 का 44)(Mental Retardation and Multiple Disabilities Act 1999) के अंतर्गत निधि की सदस्यता प्रारम्भ होने की तिथि से कर्मचारी पेंशन निधि में अंशदान की अदायगी करेगी ।]
(जी एस आर 252(ई) दिनांक 31.03.2008(01.04.2008 से लागू) द्वारा सम्मिलित किया गया)

5. किन्ही अंशदानों के भुगतान में चूक करने पर क्षति की वसूली

(1) जहां कोई नियोक्ता कर्मचारी पेंशन निधि में कोई अंशदान या अधिनियम या इस योजना के किसी अन्य प्रावधान के अन्तर्गत देय किसी भी प्रकार के भुगतान में चूक करता है, तो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त या केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में जारी अधिसूचना के द्वारा प्राधिकृत अन्य ऐसा अधिकारी नीचे लिखी दरों के हिसाब से नियोक्ता से जुर्माने के रूप में क्षति वसूल कर सकेगा :--

तालिका

क्र.सं	**चूक की अवधि**	**क्षति की दर (बकाया का प्रतिशत,वार्षिक)**
(क)	दो माह से कम	पाँच
(ख)	दो माह और अधिक किन्तु चार माह से कम	दस
(ग)	चार माह और अधिक किन्तु छः माह से कम	पंद्रह
(घ)	छः माह और अधिक	पच्चीस

(2) क्षति की गणना निकटतम रूपए में की जाएगी, 50 पैसे या अधिक को निकटतम आगे का रूपया गिना जाएगा तथा रूपए का 50 पैसे से कम भाग को छोड दिया जाएगा ।

6. कर्मचारी पेंशन निधि की सदस्यता

पैराग्राफ 1 के उपपैरा(3) के अधीन रहते हुए यह योजना प्रत्येक ुस कर्मचारी पर लागू होगी-

(क) जो 16 नवम्बर,1995 को या उसके बाद कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 का या अधिनियम की धारा 17 के अन्तर्गत समुचित सरकार द्वारा या कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 27 या 27-ए के अन्तर्गत छूट प्राप्त कारखानों या अन्य संस्थानों की भविष्य निधि का सदस्य बनता हो ;

(ख) जो 16 नवम्बर,1995 को इस योजना के प्रारम्भ से पूर्व समाप्त की गई कर्मचारी परिवार योजना, 1971 का सदस्य रहा हो ;

(ग) जिसकी 1 अप्रेल1993 और 15 नवम्बर, 1995 के बीच कर्मचारी परिवार पेंशन योजना, 1971 की सदस्यता समाप्त हुई हो और जो पैराग्राफ 7 के अन्तर्गत विकल्प देने की इच्छा रखता हो ;

(घ) जो 15 नवम्बर, 1995 को कर्मचारी भविष्य निधि या अधिनियम की धारा 17 के अन्तर्गत समुचित सरकार द्वारा छूट प्राप्त या कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 27 या 27-ए के अन्तर्गत छूट प्राप्त कारखानों या अन्य संस्थानों की भविष्य निधि के सदस्य रहे हों, परन्तु कर्मचारी परिवार पेंशन योजना, 1971 के सदस्य नहीं होने के कारण पैराग्राफ 7 के अन्तर्गत विकल्प देने की इच्छा रखते हों ।

स्पष्टीकरण : कर्मचारी की 58 वर्ष की आयु होने पर या योजना के अन्तर्गत निहित परिहार्य लाभ की तिथि पर जो भी पहले हो, से पेंशन निधि की सदस्यता समाप्त हो जाएगी ।

6-क. सदस्यता को बनाए रखना

कर्मचारी पेंशन योजना का कोई भी सदस्य 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक या वह प्रत्याहरण लाभ प्राप्त कर लेता है, जिसके लिए वह योजना के पैरा 14 के अन्तर्गत पात्र है या मर जाता है या योजना के पैरा 12 की शर्तो के अनुसार उसे पेंशन दे दी जाती है, जो भी पहले हो, तक वह ऐसा सदस्य बना रहेगा ।

7. योजना में आने (सदस्य बनने) के लिए विकल्प

(1) पैराग्राफ 6 के उप पैरा (सी) में संदर्भित सदस्य, जिनकी 1 अप्रेल, 1993 और 15 नवम्बर 1995 के बीच मृत्यु हो चुकी है, वे उनकी मृत्यु की तारीख से इस योजना में आने के लिए विकल्प दिए हुए माने जाएगे ।

(2) पैराग्राफ 6 के उप पैरा (सी) में संदर्भित सदस्य जो जीवित हैं, पैराग्राफ 17 के प्रावधानों के अनुसार उनके नौकरी छोडने की तारीख से इस योजना में आने के लिए विकल्प दे सकेंगे ।

(3) पैराग्राफ 6 के उप पैरा (डी) में संदर्भित सदस्य पैराग्राफ 17 के प्रावधानों के अनुसार 16 नवम्बर 1995 से इस योजना में आने के लिए विकल्प दे सकेंगे ।

8. शंकाओ का निराकरण

यदि यह प्रश्न उठता है कि क्या कोई "कर्मचारी कर्मचारी पेंशन योजना" का सदस्य बनने का हकदार है, तो उसे क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पास भेजा जाएगा जो उस पर निर्णय देगा ।

परन्तु, इस मामले में आदेश पारित करने से पहले नियोक्ता और कर्मचारी दोनों को सुना जाएगा ।

9. पात्र सेवा का निर्धारण –

पात्र सेवा का निर्धारण निम्नानुसार किया जाएगा :

(क) "नए सदस्यों" के मामले में "वास्तविक सेवा" को पात्र सेवा माना जाएगा । कुल वास्तविक सेवा को निकटतम पूर्ण वर्ष में गिना जाएगा । छः माह या अधिक की सेवा के भाग को एक वर्ष माना जाएगा और छः माह से कम की सेवा को छोड दिया जाएगा ।

स्पष्टीकरण – किसी संस्थान के मौसमीय आधार पर नियोजित कर्मचारी के मामले में किसी भी वर्ष की "वास्तविक सेवा" की अवधि को पूरा वर्ष माना जाएगा, बावजूद इसके कि वह सेवा एक वर्ष से कम है ।

(ख) "विद्यमान सदस्यों" के मामले में वास्तविक सेवा और "पिछली सेवा" के कुल जोड को पात्र सेवा माना जाएगा, परन्तु यदि "पिछली सेवा" की ऐसी कोई अवधि हो, जिसके लिए

परिवार पेंशन योजना, 1971 के लिए अंशदान प्राप्त नहीं हुआ हो, उस अवधि तक ही पात्र सेवा गिनी जाएगी यदि उस अवधि के लिए परिवार पेंशन निधि में अंशदान प्राप्त हो गया हो ।

स्पष्टीकरण – इस उप पैरा के लिए छः माह से कम की पिछली सेवा को छोड दिया जाएगा और छः माह और अधिक की पिछली सेवा को एक वर्ष पूर्ण माना जाएगा ।

10. पेंशन योग्य सेवा का निर्धारण –

(1) किसी सदस्य की पेंशन योग्य सेवा का निर्धारण उसकी तरफ से कर्मचारी पेंशन योजना के (प्राप्त या प्राप्त किए जाने वाले) अंशदानो के आधार पर किया जाएगा ।

(2) उस सदस्य के मामले में, जो 58 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो और/ या जिसने 20 वर्ष या अधिक की पेंशन योग्य सेवा की हो, तो उसकी पेंशन योग्य सेवा 2 वर्ष का लाभ जोडकर बढा दी जाएगी ।

11. पेंशन योग्य वेतन का निर्धारण –

(1) कर्मचारी पेंशन निधि की सदस्यता छोडने की तारीख से पिछले 12 माह की सेवा की अंशदान अवधि के दौरान (किसी भी रूप में) प्राप्त मासिक वेतन का औसत पेंशन-योग्य- वेतन होगा ।

(परन्तु यदि किसी भी सदस्य ने पेंशन निधि की सदस्यता की समाप्ति के दिन से पिछले बारह माह की अवधि के दौरान वेतन प्राप्त नही किया, तो पेंशन की गणना के लिए पिछले 12 माह का पूरा वेतन, जिस पर पेंशन निधि का अंशदान काटा गया है, पेंशन योग्य वेतन के रूप में लिया जाएगा ।)

(2) औसत मासिक वेतन की गणना के लिए 12 माह की अवधि के दौरान ऐसे मामलो सहित, जिनमें सदस्य ने माह के किसी भाग के लिए ही वेतन लिया हो; यदि बिना

अंशदान के सेवा की अवधि हो तो, 12 माह की अवधि के कुल वेतन को उन वास्तविक दिनों की संख्या से, जिनके लिए वेतन लिया गया हो, विभाजित किया जाएगा तथा इस प्रकार प्राप्त राशि को 30 गुणा किया जाएगा ।

(3) पेंशन योग्य वेतन अधिकतम (रूपए छः हजार पाँच सौ) प्रतिमाह तक सीमित रहेगा । (परन्तु, इस योजना के प्रारम्भ होने की तारीख या जिस तारीख से किसी का वेतन(रूपए 6,500) से अधिक हो जाता है, इनमें जो भी पहले हो उस तारीख से, यदि नियोक्ता और कर्मचारी की इच्छा से (रूपए 6,500) प्रतिमाह से अधिक के वेतन पर अंशदान दिया जाता है तथा नियोक्ता का 8.33% हिस्सा पेंशन निधि में जमा कराया जाता है तो पेंशन योग्य वेतन उस अधिक वेतन पर आधारित होगा ।)

12. मासिक सदस्य पेंशन –

(1) सदस्य,

(क) यदि वह 10 वर्ष या अधिक की पात्र सेवा कर चुका हो और 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत होता है तो वृद्धावस्था पेंशन का ;

यदि वह 10 वर्ष या अधिक की पात्र सेवा कर चुका हो और 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पूर्व सेवानिवृत होता है या अन्य कारण से नौकरी करना बन्द कर देता है, तो पूर्व पेंशन (Early Pension) का ;

(2) नए सदस्यों के मामले में मासिक वृद्धावस्था पेंशन या पूर्व पेंशन(Early Pension), जैसा भी मामला हो, की राशि की गणना निम्नलिखित सूत्र के अनुसार की जाएगी, यथा-

मासिक सदस्य पेंशन = पेंशन योग्य वेतन X पेंशन योग्य सेवा

---

(3) वर्तमान सदस्य के मामले में जिसकी पेंशन प्रारम्भ होने की तिथि 16 नवम्बर 2005 के पश्चात है

(i) वार्धक्य निवृति/पूर्व पेंशन का पूर्ण योग निम्न बराबर होगा :-

(क) 16 नवम्बर ,1995 से की गई पेंशन योग्य सेवा के लिए उपपैरा (2) के अन्तर्गत निर्धारित पेंशन या रूपए 635/-प्रतिमाह, जो भी अधिक हो ;

(ख) नीचे लिखे अनुसार पिछली सेवा का लाभ –

पिछली सेवा का लाभ 16 नवम्बर,1995 को 58 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर देय है

क्रम सं.	पिछली सेवा के वर्ष	वेतन रू.2500/- प्रतिमाह तक	वेतन रू.2500/- प्रतिमाह से अधिक
(i)	11 वर्ष तक	80	85
(ii)	11वर्ष से अधिक परन्तु 15 वर्ष तक	95	105
(iii)	15वर्ष से अधिक परन्तु 20 वर्ष से कम	120	135
(iv)	20 वर्ष से अधिक	150	170

पिछली सेवा की देय पेंशन आंकने के लिए उपरोक्त कालम (2) या कालम(3) के अन्तर्गत राशि जैसा भी मामला हो, 16.11.95 तथा नौकरी से निकाले जाने की तिथि के बीच की अवधि के लिए तालिका 'ख 'में दिए गए गुणांक से गुणा किया जाएगा

(ii) 'क' तथा 'ख' का कुल जैसा कि ऊपर गणना की गई है 800/-प्रतिमाह की शर्त पर होगा। यदि पिछली सेवा 24 वर्ष है । यदि 24 वर्ष से कम है तो अनुपात के

अनुसार ऊपर गणना की गई पेंशन कम हो जाएगी, जो कि न्यूनतम रू 450/- प्रति माह तक हो सकती है ।

(4) वर्तमान सदस्य के मामले में, जिसकी पेंशन के प्रारम्भ होने की तिथि 16 नवम्बर 2000 तथा 16 नवम्बर 2005 के बीच है -

(i) वार्धक्य निवृति/पूर्व पेंशन इसके कुल के बराबर होगी

(क) 16 नवम्बर 1995 से की गई सेवा के लिए उपपैरा(2) के अन्तर्गत निर्धारित पेंशन या 438/-रू प्रतिमाह जो भी अधिक हो

(ख) जैसा उप पैरा (3) में बताया गया है, पूर्व सेवा पेंशन

(ii) उपरोक्त (क) तथा (ख) में कुल की गणना अनुसार पेंशन न्यूनतम 600/रू प्रतिमाह होगी बशर्ते कि 24 वर्ष की पात्र सेवा हो । यदि 24 वर्ष से कम है तो पेंशन लाभ अनुपातिक रूप से कम होंगे और पेंशन न्यूनतम 325/-रू प्रतिमाह होंगे

(5) वर्तमान सदस्य के मामले में जिसकी पेंशन के प्रारम्भ होने की तिथि 16 नवम्बर 2000 से पहले है

(i) वृद्धावस्था पेंशन/पूर्व पेंशन इसके कुल के बराबर होगी

(क) 16 नवम्बर 1995 से की गई पेंशन योग्य सेवा के लिए उपपैरा(2) के अन्तर्गत निर्धारित पेंशन या रूपए 335/-प्रतिमाह जो भी अधिक हो ;

(ख) उपपैरा(3) में दर्शाये अनुसार पिछली सेवा का लाभ

के योग के बराबर होगी जो कि न्यूनतम रूपए 500/- प्रतिमाह होगी यदि पिछली सेवा 24 वर्ष है; परन्तु यदि यह 24 वर्ष से कम हो तो, न्यूनतम रूपए 265/- प्रतिमाह के अधीन रहते हुए देय पेंशन और पिछली सेवा का लाभ आनुपातिक रूप से कम होंगे ।

(6) एतद्पश्चात यदि विशेष रूप से उल्लेख किया गया हो, के अलावा उपरोक्त पूर्व लिखित उपपैरा (2) से (5) में उल्लिखित जैसा भी मामला हो, मासिक सदस्य पेंशन, 58 वर्ष की आयु पूर्ण होने की तारीख के तत्काल बाद की तारीख से देय होगी, बावजूद इस तथ्य के कि वह सदस्य उस तारीख से पहले ही सेवानिवृत हो गया हो या नौकरी करना बन्द कर दिया हो ।

(7) यदि कोई चाहता है कि उसे 58 वर्ष की आयु के पहले परन्तु 50 वर्ष की आयु के पहले नहीं ; तो उसे पूर्व पेंशन की इजाजत दी जा सकती है । ऐसे मामलों में पेंशन की राशि को (58 वर्ष की आयु के प्रत्येक वर्ष के लिए चार प्रतिशत) की दर से कम कर दी जाएगी ।

(8) यदि कोई सदस्य वृद्धावस्था की आयु प्राप्त करने से पहले सेवानिवृति या अन्यथा नौकरी से अलग हो जाता है जिसके लिए पेंशन प्राप्त की जा सकती है, उस सदस्य को उसके विकल्प के अनुसार 50 वर्ष की आयु पूरी करने के पश्चात इस योजना के अन्तर्गत ग्राह्य पेंशन दी जाए या आयुक्त द्वारा योजना प्रमाण-पत्र जारी किया जाए, जिसमें नौकरी से अलग होने के समय, की गई पेंशन योग्य सेवा, पेंशन योग्य वेतन और पेंशन की देय राशि के उल्लेख हो । तत्पश्चात यदि वह इस योजना के अन्तर्गत आवृति योग्य संस्थान में नौकरी कर लेता है, तो योजना प्रमाण-पत्र में दिखाए अनुसार पहले की सेवा पेंशन योग्य सेवाओं के नए भाग के साथ पेंशन के लिए गिनी जाएगी । इस पैराग्राफ के अन्तर्गत पेंशन के भुगतान को प्रारम्भ किए जाने को स्थगित करने वाला सदस्य इस योजना के अन्तर्गत समय समय पर स्वीकृत अतिरिक्त राहत का हकदार होगा :

परन्तु, यदि वह सदस्य इस योजना के अन्तर्गत आवृति योग्य संस्थान में नियोजन प्राप्त नहीं करता है, परन्तु 58 वर्ष की आयु प्राप्त होने से पहले ही मर जाता है, तो उसके मामले में प्राप्त अंशदान मासिक विधवा पेंशन/संतान पेंशन में परिवर्तित कर दिया जाएगा । ऐसे

मामलों में **तालिका सी** में दर्शायी मात्रा में विधवा पेंशन और उसके 25 प्रतिशत के हिसाब से प्रत्येक बच्चे के लिए (दो बच्चों तक) संतान पेंशन की गणना की जाएगी । यदि कोई विधवा नहीं हो तो पैराग्राफ 16 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, विधवा पेंशन के रूप में दी जा सकने वाली राशि के 75 प्रतिशत की दर से अनाथ पेंशन देय होगी ।

(12क) 25 जी.एस.आर.688(ई) दिनांक 26.9.2008 द्वारा (दिनांक 26.9.2008) से समाप्त

(13) 26 जी.एस.आर.688(ई) दिनांक 26.9.2008 द्वारा (दिनांक 26.9.2008) से समाप्त

14. मासिक सदस्य पेंशन का पात्र बनने से पहले ही नौकरी छोडने पर लाभ –

(1) यदि कोई सदस्य नौकरी छोडने या 58 वर्ष की आयु प्राप्त होने की तारीख जो भी पहले हो, को पैरा(9) में नियत पात्र सेवा पूरी नही करता है, तो वह तालिका 'डी' में लिखे अनुसार प्रत्याहरण लाभ का हकदार होगा या वह योजना प्रमाण पत्र का विकल्प दे सकता है, यदि उसने 58 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है :

परन्तु, विद्यमान सदस्य कर्मचारी परिवार पेंशन योजना, 1971 के अन्तर्गत की गई अपनी पिछली सेवा के लिए तालिका 'ए ' के अनुसार प्रत्याहरण एवं सेवानिवृति लाभ को तालिका 'बी' में दिए फैक्टर से गुणा करके आंकी गई राशि अतिरिक्त अंशदान वापसी के रूप में प्राप्त करेगा ।

15. सेवा के दौरान स्थायी एवं पूर्ण अपंगता पर लाभ-

(1) सदस्य जो नियोजन के दौरान स्थाई रूप से और पूर्णरूप से अपंग हो गया हो, पैरा 12 के उप-पैरा (2) से (5) के अन्तर्गत, जैसा भी मामला हो, पेंशन प्राप्त करने का हकदार होगा, जो कि न्यूनतम रूपए 250/- प्रतिमाह होगी, बावजूद इसके कि पैराग्राफ 12 के अन्तर्गत पेंशन का हकदार बनने के लिए उसने पेंशन योग्य सेवा नहीं की हो परन्तु वह पेंशन निधि में कम से कम एक माह का अंशदान दे चुका हो ।

(2) ऐसे मामलों में मासिक सदस्य पेंशन स्थाई एवं पूर्ण अपंगता की तारीख की अगली तारीख से देय होगी और वह सदस्य के जीवनपर्यन्त जारी रहेगी ।

(3) इस पैराग्राफ के अन्तर्गत लाभों के लिए आवेदन करने वाले सदस्य को, यह निर्धारित करने के लिए कि अपंगता के समय जो कार्य वह कर रहा था, उस नियोजन के लिए वह स्थाई रूप से एवं पूर्ण रूप से अक्षम है, जैसा केन्द्रीय बोर्ड द्वारा निर्धारित करे, वैसी चिकित्सा जांच करवानी होगी ।

16. सदस्य की मृत्यु पर परिवार को लाभ

(1) यदि सदस्य की –

(क) यदि उसने कर्मचारी पेंशन निधि में कम से कम एक माह के ळिए अंशदान दे दिया हो और सेवा में रहते हुए, या

(ख) उसे मासिक सदस्य पेंशन का हकदार बनाना योग्य नौकरी करने के पश्चात, लेकिन 58 वर्ष की आयु प्राप्त होने से पूर्व नौकरी छोड देने के पश्चात (परन्तु पेंशन का भुगतान प्रम्भ होने से पूर्व) या

(ग) मासिक सदस्य पेंशन प्रारम्भ होने के पश्चात,

मृत्यु हो जाती है, तो(परिवार को पेंशन) सदस्य की मृत्यु की तिथि से अगली तारीख से देय होगी ।

टिप्पणी – ऐसे मामले, जहां सदस्य ने नौकरी छोडने तक 10 वर्ष से कम की पात्र सेवा की हो, किन्तु पेंशन निधि की सदस्यता को बनाए रखता है और 58 वर्ष की आयु प्राप्त होने से पहले ही मर जाता है, वे पैरा 12 के उप-पैरा (8) के अन्तर्गत तय किए जाऐगे ।

(2)(क) मासिक विधवा पेंशन –

(i) उप-पैरा(1) के खण्ड (क) में आने वाले मामलों में, मासिक सदस्य पेंशन के बराबर, जो कि सदस्य को, उसकी मृत्यु तिथि पर सेवानिवृति होने पर मिलती, या रूपए 450/- या तालिका 'सी' में दर्शायी राशि, जो भी अधिक हो ;

(ii) उप-पैरा(1) के खण्ड (ख) में आने वाले मामलों में, मासिक सदस्य पेंशन के बराबर, जो कि सदस्य के नौकरी छोडने की तारीख को सेवानिवृति होने पर मिलती या (रूपए 450/- प्रतिमाह) या तालिका 'सी' में दर्शायी राशि जो भी अधिक हो,

(iii) उप-पैरा(1) के खण्ड (ग) में आने वाले मामलों में, सदस्य की मृत्यु की तारीख को देय मासिक सदस्य पेंशन का 50 % परन्तु न्यूनतम (रूपए 450/- प्रतिमाह) होगी ।

(iv) उन सभी मामलों में जिनमें, समाप्त परिवार पेंशन योजना, 1971 के अन्तर्गत स्वीकृत तथा इस योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली/देय परिवार पेंशन रूपए 450/- प्रतिमाह से कम है, उन मामलों में परिवार पेंशन की राशि बढाकर रूपए 450/-प्रतिमाह कर दी जाएगी ।

(ख) मासिक विधवा पेंशन विधवा की मृत्यु या पुनर्विवाह, जो भी पहले हो, तक देय होगी ।

टिप्पणी – ऐसे मामलों में जहां, दो या अधिक विधवाएँ हों तो वरिष्ठतम जीवित विधवा को परिवार पेंशन देय होगी । उसकी मृत्यु पर अगली वरिष्ठतम विधवा, यदि कोई हो, को देय होगी । "वरिष्ठतम" शब्द का तात्पर्य विवाह की तारीख से होगा ।

(6) **मासिक संतान पेंशन** –

(क) परिवार की परिभाषा में आने वाली मृतक सदस्य के यदि कोई जीवित संतान हो, वे मासिक विधवा/विधुर के अतिरिक्त मासिक संतान पेंशन के हकदार होंगे

(ख) मृतक सदस्य की विधवा/विधुर को उप-पैरा (2) (क) (i) के अन्तर्गत देय मासिक विधवा पेंशन की राशि के 25 प्रतिशत के बराबर मासिक संतान पेंशन प्रत्येक संतान

के लिए देय होगी, किन्तु मृतक सदस्य के प्रत्येक बच्चे के लिए न्यूनतम मासिक संतान पेंशन (रूपए 150/- प्रतिमाह) से कम नहीं होगी

(ग) जब तक कि संतान 25 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेगी मासिक संतान पेंशन देय होगी ।

(घ) मासिक संतान पेंशन अधिकतम दो बच्चों को एक साथ देय होगी और वरिष्टतम से कनिष्ठतम के क्रम में दी जाएगी ।

(ङ) यदि कोई सदस्य अपने पीछे परिवार में ऐसे पुत्र या पुत्री, जो स्थायी और पूर्ण रूप से अपंग है ; को छोडकर मर जाता है ; तो ऐसे पुत्र या पुत्री अवतरण (डी) में निर्धारित पेंशन के अतिरिक्त मासिक बच्चा पेंशन लया अनाथ पेंशन, जैसा भी मामला हो, के भुगतान किए जाने का अधिकारी होगा, बिना यह देखे कि परिवार में बच्चों की आयु या संख्या क्या है ।

(4)(क) यदि मृतक सदस्य की कोई जीवित विधवा न हो पन्तु परिवार की परिभाषा में आने वाले बच्चे जीवित हों या विधवा पैंशन देय न हो, तो वे बच्चे उप-पैरा (2)(क) (i) अन्तर्गत देय मासिक विधवा पेंशन की राशि के 75 प्रतिशत के बराबर मासिक पेंशन के हकदार होंगे, किन्तु प्रत्येक अनाथ के लिए न्यूनतम मासिक अनाथ पेंशन (रूपए 250/- प्रतिमाह) से कम नहीं होगी ।

(ख) विधवा/विधुर पेंशन स्वीकृत करने के पश्चात विधवा/विधुर की मृत्यु या पुनर्विवाह की दशा में बच्चे मासिक संतान पेंशन के बदले में, विधवा/विधुर की मृत्यु /पुनर्विवाह की तारीख से मासिक अनाथ पेंशन के हकदार होंगे ।

(ग) मासिक अनाथ पेंशन अधिकतम दो अनाथ बच्चों को एक साथ देय होगी तथा वरिष्ठतम से कनिष्ठतम अनाथ बच्चे के क्रम से दी जाएगी ।

5(क) सदस्य जो अविवाहित हो या जिसके कोई जीवित पत्नी/पति और/या पात्र संतान न हो वह आगे लिखे लाभों को प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति को नामांकित कर सकता है, किन्तु बाद में उसके द्वारा परिवार बना लेने पर, किया गया नामांकन अवैध हो

जाएगा । सदस्य की मृत्यु की दशा में वह नामांकित व्यक्ति, उप-पैरा (2) के खण्ड(ए) के उपखण्ड (i) और (ii) के अन्तर्गत देय मासिक विधवा पेंशन के बराबर मासिक पेंशन प्राप्त करने का हकदार होगा ।

(कक) यदि कोई सदस्य अपने पीछे बिना कोई पति/पत्नी और/ या परिवार की परिभाषा में आने वाला पात्र बच्चा छोडे बिना मर जाता है तथा ऐसे मृतक सदस्य का नामांकन पत्र विद्यमान नही है, तो उप पैरा(2) के क्लाज(क) के उप क्लाज (i) या(ii) के अन्तर्गत निर्भर पिता को पेंशन स्वीकृत करने पर और उस पेंशनर पिता की मृत्यु के उपरान्त दी जाने योग्य पेंशन जीवित माता को जीवन भर के लिए दी जाएगी ।

(ग) यदि मृतक सदस्य ने नौकरी छोडने की तारीख तक पेंशन योग्य सेवा पूरी नहीं की हो, जो कि उसे पैरा 12नके अन्तर्गत मासिक सदस्य पेंशन का डकदार भनाती किन्तु पैरा 12 के उप-पैरा (8) के अन्तर्गत इस योजना की सदस्यता को जारी रखने का विकल्प देता है, तो (नामांकित या निर्भर पिता या निर्भर माता, जैसा भी मामला हो) नामांकित व्यक्ति पैरा 13 के उप-पैरा(1) में उल्लेख के अनुसार पूंजीगत वापसी का हकदार होगा ।

16-क पेंशन लाभों की गारंटी-

पैराग्राफ 3 के उप-पैरा(1) के अन्तर्गत नियोक्ता द्वारा किसी आवस्यकता की अनुपालना नहीं किए जाने के आदार पर किसी भी सदस्य या लाभ प्राप्त करने वाले को इस योजना के अन्तर्गत पेंशन लाभ देने से इन्कार नहीं किया जा सकेगा, परन्तु फिर भू उस नियोक्ता को इस योजना के अन्तर्गत उसकी जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं किया जा सकेगा ।

17. विकल्प देने पर भुगतान –

(1) पैराग्राफ 7 के उप-पैरा(1) में संदर्भित कर्मचारी परिवार पेंशन योजना के मृतक सदस्य के लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्ति कर्मचारी परिवार पेंशन योजना, 1971 और इस योजना के अन्तर्गत उपलब्ध अधिकतम लाभ प्राप्त करेगें ।

(2) पैराग्राफ 7 के उप-पैरा(1) में संदर्भित सदस्यों के लिए विकल्प होगा कि वे प्रत्याहरण लाभ, यदि प्राप्त किया हो, की राशि को प्रत्याहरण का भुगतान करने की तारीख से विकल्प देने की तारीख तक 8.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज के साथ वापस लौटाकर इस योजना के अन्तर्गत मासिक पेंशन प्राप्त करने के लिए इस योजना का सदस्य बनने के लिए विकल्प दे सकेगें ।

(3) पैराग्राफ 7 के उप-पैरा (3) में संदर्भित सदस्य, पिछली अवधि का अंशदान उस पर ब्याज सहित जमा कराने पर कर्मचारी परिवार पेंशन योजना, 1971 का 1.3.191 से सदस्य बना हुआ माना जाएगा ।

17-क. पेंशन का भुगतान-

सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किए गए सभी दृष्टियों से पूर्ण दावों को आयुक्त द्वारा प्राप्त करने की तारीख से तीस दिनों के अन्दर निपटा दिए जाएगें तथा प्राप्त कर्ताओं को लाभों की राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। यदि दावे में कोई कमी हो तो, उसे दावे की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के अन्दर-अन्दर उनके बारे में दावेदार को सूचित किया

जाएगा । सभी तरह से पूर्ण दावे को बिना समुचित कारण के 30 दिनों के अन्दर-अन्दर निपटाने में आयुक्त असफल होता है तो उक्त अवधि से आगे विलम्ब के लिए आयुक्त जिम्मेदार होगा तथा देय राशि पर 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से दण्ड ब्याज लगाया जाएगा तथा वह आयुक्त के वेतन से काटा जा सकता है ।

18. कर्मचारी पेंशन योजना के प्रारम्भ के समय पहले ही नियोजित कर्मचारियों द्वारा दिया जाने वाला विवरण –

कर्मचारी पेंशन निधि का प्रत्येक सदस्य. नियोक्ता द्वारा आयुक्त को भेजने के लिए, तत्काल देने के लिए कहने पर, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा निर्धारित प्रपत्र में, अपने बारे में तथा अपने परिवार के बारे में विवरण देगा ।

19. अंशदान कार्डों का बनाना-

प्रत्येक नियोक्ता, कर्मचारी पेंशन निधि का सदस्य बनने वाले प्रत्येक कर्मचारी के सम्बन्ध में अंशदान कार्ड बनाएगा ।

20. नियोक्ताओं की जिम्मेदारियां -

(1) प्रत्येक नियोक्ता, इस योजना के प्रारम्भ होने के तीन माह के अन्दर-अन्दर कर्मचारी पेंशन निधि का सदस्य बनने के हकदार कर्मचारियों की एक समेकित विवरणिका, जिसमें उनका मूल वेतन, रिटेनिग अलाउन्स , यदि हो, तथा देय खाद्य राहत के नकदमूल्य सहित मंहगाई भत्ता, जो प्रत्येक कर्मचारी को दिया गया हो, दर्शाते हुए आयुक्त को भेजेगा :

परन्तु यदि कर्मचारी पेंशन निधि का सदस्य बनने का हकदार कोई भी कर्मचारी नही हो तो नियोक्ता शून्य विवरणिका भेजेगा ।

(2) प्रत्येक माह की समाप्ति से पन्द्रह दिनों के अन्दर-अन्दर पिछले माह में नियोक्ता की सेवाएं छोडने वाले कर्मचारियों के सम्बन्ध में एक विवरणिका आयुक्त को भेजेगा :

परन्तु यदि कोई कर्मचारी पिछले माह में नियोक्ता की सेवाएं नही छोडता है तो नियोक्ता 'शून्य' विवरणिका देगा ।

(3) प्रत्येक नियोक्ता कर्मचारी पेंशन निधि में दिए जाने वाली राशियों के, जो उसके अंशदान के रूप में दिया जाए, उसके खाते केन्द्रीय बोर्ड द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों के अनुसार रखेगा तथा प्रत्येक नियोक्ता की यह जिम्मेदारी होगी कि वह कर्मचारी पेंशन निधि से केन्द्रीय बोर्ड के प्राधिकार के अन्तर्गत जैसे स्वीकृत किए जाए, उन भुगतानों को उसके कर्मचारियों को किए जाने में केन्द्रीय बोर्ड को सहयोग देगा ।

(4) इस पैराग्राफ में इससे पूर्व लिखी किसी बात के बावजूद केन्द्रीय बोर्ड नियोक्ताओं को आमतौर पर निर्देश दे सकेगा, जैसा वह योजना के लागू किए जाने के लिए उचित समझे, तथा प्रत्येक नियोक्ता की यह जिम्मेदारी होगी कि वह उन निर्देशों की पालना करें ।

21. नियोक्ता मालिकाना सम्बन्धी विवरण देगा:

प्रत्येक कारखाने या अन्य संस्थान, जिस पर अधिनियम लागू होता है या एतद्पश्चात् लागू किया जाए, का नियोक्ता सभी शाखाओं तथा विभागों, मालिकों, कब्जेदारो, निदेशकों, भागीदारों, व्यवस्थापकों अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों, जो कारखाने या अन्य संस्थान की गतिविधियों पर सर्वोपरि नियंत्रण रखता हो, का विवरण तथा किसी भी परिवर्तन की सूचना पन्द्रह दिनों के अन्दर, आयुक्त को पंजीकृत डाक से भेजेगा ।

22. ठेकेदारों की जिम्म्दारियां :

प्रत्येक माह की समाप्ति के सात दिनों के अन्दर-अन्दर प्रत्येक ठेकेदार मुख्य नियोक्ता को, उसके द्वारा या माध्यम से नियोजित कर्मचारियों के सम्बन्ध में देय कर्मचारी पेंशन निधि अंशदान की राशियों का विवरण भेजेगा तथा जैसी मुख्य नियोक्ता द्वारा इस योजना के प्रावधानों के अन्तर्गत आयुक्त को भेजना आवश्यक हो, ऐसी अन्य सूचनायें भी वह देगा ।

23. खाता संख्याओं का आबंटन :

(1) जहां किसी सदस्य को कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के अन्तर्गत कोई खाता संख्या दी गई है या आगे दी जाए, उसे वह योजना के उद्देश्य के लिए जारी रख सकेगा ।

(2) अधिनियम की धारा 17 के अन्तर्गत कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 से छूट प्राप्त संस्थान के कर्मचारियों के मामले में, जो कर्मचारी परिवार पेंशन निधि के सदस्य हैं उन्हें दी गई खाता संख्या को, वे जारी रख सकेंगे ।

(3) अधिनियम की धारा 17 के अन्तर्गत कर्मचारी भविष्य निधि योजना से छूट प्राप्त संस्थान के ऐसे कर्मचारियों के मामले में जो कर्मचारी परिवार पेंशन निधि के सदस्य नहीं है, परन्तु कर्मचारी पेंशन योजना का सदस्य बनने का विकल्प देता है, उन्हें आयुक्त द्वारा नई खाता संख्या दी जाएगी ।

24.निधि की स्थापना के पश्चात् नियोजन प्राप्त करने वाले व्यक्तियों द्वारा घोषणा पत्र :-

प्रत्येक नियोक्ता, किसी भी व्यक्ति को अपने यहां नियोजन प्राप्त करने से पूर्व लिखित में सूचित करने के लिए कहेगा कि वह पेंशन योजना का सदस्य है या नहीं और यदि वह है तो पैरा 12 के अनुसार उसकी पिछली सेवाओं कि लिए आयुक्त द्वारा जारी "योजना प्रमाण-

पत्र" प्रस्तुत करने के लिए भी कहेगा । यदि सबंधित व्यक्ति पहले नियोजन में नहीं था या अपनी पिछले नियोजन के लिए अंशदान की वापसी ले चुका हो तो, नियोक्ता द्वारा मांगे जाने पर, आयुक्त को भेजे जाने के लिए, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अपने बारे में तथा अपने परिवार के सम्बन्ध में सूचनायें देगा ।

बशर्ते यदि वह व्यक्ति विकलांग है तो उक्त फार्म में वह ब्यौरा होगा जो इस प्रकार के व्यक्ति के लिए आवश्यक है ।

25.कर्मचारी पेंशन निधि खाता :

केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से केन्द्रीय बोर्ड द्वारा उल्लिखित प्रक्रियानुसार आयुक्त एक खाता खोलेगा जो "कर्मचारी पेंशन निधि खाता" के नाम से जाना जाएगा ।

26. कर्मचारी पेंशन निधि का विनियोजन :

(1) केन्द्रीय सरकार के अंशदान के अलावा, कर्मचारी पेंशन योजना में प्राप्त सभी धनराशियाँ कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 52 के प्रावधानों के अनुसार विनियोजित की जाएगी ।

(2) 16.11.1995 को उपलब्ध परिवार पेंशन निधि की सम्पूर्ण परिसम्पतियां पेंशन निधि में मिला दी जाएगी और भारत सरकार के लोक खाते में विनियोजित रखी जाएगी । 17 नवम्बर, 1995 से आगे पेंशन निधि में केन्द्रीय सरकार से आने वाले अंशदान को भी भारत सरकार के लोक-खाते में विनियोजित किया जाएगा ।

27. निधि का निस्तारण :

(1) अधिनियम और इस योजना के प्रावधानों के अधीन रहते हुए निधि को, इस योजना में बताए भुगतानों के कर्मचारी परिवार पेंशन योजना, 1971 के अन्तर्गत इस योजना के प्रारम्भ किए जाने से पहले स्वीकृत या 16 नवम्बर 1995, के पश्चात उस योजना के अन्तर्गत उस

तारीख के पहले के उभरे मामले में स्वीकृत परिवार पेंशन, जीवन बीमा लाभ और सेवानिवृति एवं प्रत्याहरण लाभों के अलावा अन्य किसी मामले में बिना केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृत के खर्च नहीं किया जा सकेगा ।

27 (2) सभी प्रशासनिक व्यय कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 के पैरा 49 के अनुसार " केन्द्रीय प्रशासनिक खाता" से किए जाएंगे । फिर भी पेंशन की प्रेषण(रेमीनेटेनस) की लागत पेंशन निधि से वसूल की जाएगी।

28 44.(हटा दिया गया है)44.जी एस आर-3 दिनांक 29.13.2006 द्वारा प्रतिस्थापित

29. खातों के प्रपत्र

कर्मचारी पेंशन योजना के खाते तथा कर्मचारी पेंशन प्रशासन के खाते भी आयुक्त द्वारा उन प्रपत्रों एवं प्रक्रिया के अनुसार रखे जाएगे जैसा कि केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से केन्द्रीय बोर्ड निर्धारित करे ।

30. लेखा परीक्षा

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सलाह से केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार इस योजना को चलाने के प्रशासनिक व्यय सहित कर्मचारी पेंशन निधि के खातों की लेखा परीक्षा की जाएगी ।

31. परिलाभों का पूर्णांकन :

परिलाभों की प्रत्येक मद निकटतम रूपए में गिनी जाएगी, 50 पैसे या अधिक को पूरा रूपया माना जाएगा तथा रूपए के 50 पैसे से कम भाग को छोड दिया जाएगा ।

32. कर्मचारी पेंशन निधि का मूल्यांकन तथा अंशदान तथा पेंशन और अन्य परिलाभों के परिमाण का पुनरावलोकन

(1) केन्द्रीय सरकार अपने द्वारा नियुक्त मूल्यांकनकर्ता से कर्मचारी पेंशन निधि का वार्षिक मूल्यांकन करवाएगी ।

(जी.एस.आर.134 दिनांक 28 फरवरी 1996 द्वारा प्रतिस्थापित(16 मार्च 1996 से लागू)

(2) किसी भी समय यदि कर्मचारी पेंशन निधि इसकी इजाजत दे, केन्द्रीय सरकार इस योजना के अन्तर्गत देय अंशदान की दर या इस योजना के अन्तर्गत उपलब्ध परिलाभों की श्रृखंला या इन परिलाभों को दिए जाने की अवधि में परिवर्तन कर सकेगी ।

33. पेंशन तथा अन्य परिलाभों का वितरण :

केन्द्रीय बोर्ड की अनुमति से आयुक्त, इस योजना के अन्तर्गत पेंशन तथा अन्य लाभों के वितरण के लिए डाकघर या राष्ट्रीयकृत बैंक या राजकीय कोष जैसी एजेंसियों या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको या सरकारी बैंको सहित अनुसूचित व्यावसायिक बैकों से व्यावसायिक बैंकों से व्यवस्था कर सकेगा । वितरक एजेंसियों को देय कमीशन तथा उसके अन्य खर्चे इस योजना के पैरा 27 के अनुसार वहन किए जाएगे । (जी.एस.आर 746 (ई) दिनांक 27. 09. 2001 द्वारी संशोधित (28.09. 2001 से लागू)

34. रजिस्टर, रिकार्ड आदि –

केन्द्रीय बोर्ड की अनुमति से आयुक्त, कर्मचारियो के सम्बन्ध में रखे जाने वाले रजिस्टर तथा रिकार्ड, सदस्य या उसके परिवार के सदस्यों, जो पेंशन प्राप्त करने के हकदार हों, का परिचय प्राप्त करने के उद्देश्य से परिचय पत्र टोकन या डिस्क का प्रपत्र या आकृति तथा पेंशन तथा अन्य लाभ प्राप्त करने के लिए पूरी की जाने वाली

खानापूर्ति या उन्हें सावधि सत्यापन के बाद जारी रखने, जैसा उचित समझा जाए, निर्धारित करेगा ।

35. **निर्देश देने की शक्ति -**

पेंशन व अन्य लाभों के वितरण में आने वाली या किसी कठिनाई को सुलझाने के लिए या इस योजना को लागू किए जाने में आने वाली कठिनाई सुलझाने के लिए, केन्द्रीय सरकार, जैसा उचित समझे, निर्देश जारी कर सकेगी ।

36. **क्षेत्रीय समिति** – कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 के पैरा 4 के अन्तर्गत स्थापित क्षेत्रीय समिति इस योजना के प्रशासन सम्बन्धी मामलों में, जो समय-समय पर केन्द्रीय बोर्ड द्वारा इसे भेजे जाए, केन्द्रीय बोर्ड को सलाह देगी, विशेष रूप से -

(ए) अधिनियम की धारा 17 खे अन्तर्गत छूट प्राप्त कारखाने एवं संस्थानों तथा अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले अन्य कारखानो और संस्थानों से इस योजना के अन्तर्गत अंशदानों की वसूली की प्रगति ;

(बी) अदालती वादों के शीघ्र निपटारे ;

(सी) इस योजना के अन्तर्गत पेंशन एवं अन्य लाभों के दावों के शीघ्र निपटारे के मामलों में ।

37. **वार्षिक रिपोर्ट -** केन्द्रीय बोर्ड कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 के पैराग्राफ 74 के अन्तर्गत उस योजना के कार्यकलापों की तैयार की जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट में इस योजना के पिछले वित्तीय वर्ष के कार्यकलापों की रिपोर्ट भी शामिल करेगा

38. कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 के प्रावधानों का लागू होना - ऐसे मामलों के लिए जिनके लिए इस योजना में या तो कोई प्रावधान नहीं हो या अपर्याप्त प्रावधान हों, तो उस दशा में कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के तत्सम्बन्दी प्रावधान लागू होंगे।

39. पेंशन योजना के लागू होने से छूट - यदि किसी संस्थान के कर्मचारी या तो किसी पेंशन योजना के सदस्य हों या ऐसी पेंशन योजना के सदस्य हों जिसके अन्तर्गत पेंशन लाभ इस योजना के अन्तर्गत लाभों से समान या अधिक हितकर हों तो समुचित सरकार ऐसी किसी संस्थान या संस्थानों की ऐसी श्रेणी को इस योजना के लागू होने से छूट दे सकेगी । यदि किसी संस्थान या संस्थानों की श्रेणी को इस पैराग्राफ के अन्तर्गत छूट प्रदान की गई है तो परिवार पेंशन योजना 1971 के अन्तर्गत ऐसी संस्थान के कर्मचारियों को उपलब्ध प्रत्याहरण लाभ का भुगतान उस छूट प्राप्त संस्थान के पेंशन निधि को कर दिया जाएगा, कर्मचारी ऐसी सहमति दे । इस पैराग्राफ के अन्तर्गत छूट प्राप्ति का आवेदन उस संस्थान या संस्थानों की श्रेणी पर क्षेत्राधिकार रखने वाले क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को संस्थान(संस्थानो) की पेंशन योजना की एक प्रति और अन्य दस्तावेज जो वह चाहे, के साथ प्रस्तुत की जाएगी । ऐसा आवेदन पत्र प्राप्त होने पर क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त उसकी जाँच करेगा । केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अनुशंसा प्राप्त करके समुचित सरकार को निर्णय के लिए प्रस्तुत करेगा . इस पैराग्राफ के अन्तर्गत दिए गए छूट के आवेदन का निपटारा नहीं हो जाता, पैराग्राफ 3 के उपपैरा (1) में बताए अनुसार नियोक्ता के हिस्से का अंशदान पेंशन निधि में जमा नहीं कराया जाएगा । इस पैराग्राफ के अन्तर्गत प्रस्तुत छूट के आवेदन का निपटारा उसे प्राप्त होने के छः माह के अन्दर

अन्दर या लिखित में कारण सहित बढाई गई ऐसी अवधि में कर दिया जाएगा ।

यदि उल्लिखित समय सीमा में छूट के आवेदनका निपटारा नहीं होता है तो आवेदित छूट स्वीकृत किया हुआ माना जाएगा ।

स्पष्टीकरण - इस पैराग्राफ के उद्देश्य के लिए छः माह की अवधि उस तारीख से गिनी जाएगी जिसको कि क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त की संतुष्टि के अनुसार छूट का पूर्ण आवेदन दिया जाएगा।

39ए. विवरणिका की प्रस्तुति - छूट प्राप्त संस्थान यै संस्थानों की श्रेणी का नियोक्ता और/या छूट प्राप्त संस्थान यै संस्थानों की श्रेणी का बोर्ड आफॅ ट्रस्टीज फार्म नं.1 में आयुक्त को एक मासिक विवरणिका प्रस्तुत करेगा ।(जी.एस.आर. 134 दिनांक 28 फरवरी 1996 द्वारा प्रतिस्थापित(16 मार्च 1996 से लागू)

फार्म - ।

(पैरा 39 क देखे)

छूट प्राप्त स्थापनाओं/स्थापनाओं के वर्ग/न्यासी बोर्ड द्वारा प्रेषित की जाने वाली मासिक विवरणी

1. स्थापनाओं का ब्यौरा

(क) स्थापना का नाम एवं
पूर्ण पता

(ख) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
द्वारा आवंटित कोड न0

2. कर्मचारियों का ब्यौरा
(सभी शाखाएं/एकक आदि सहित)

(क) पिछले मास के अन्त तक
कर्मचारियों की संख्या

(ख) मास के दौरान जिन्होंने
कार्यग्रहण किया उन कर्मचारियों
की संख्या

(ग) मास के दौरान जिन्होंने
नौकरी छोड़ दी उन कर्मचारियों
की संख्या

(घ) मास के अन्त में कर्मचारियों की संख्या
(क + ख - ग)

(ड़) उपरोक्त (घ) में से वर्जित
कर्मचारियों की संख्या

(च) मास के अन्त में पैंशन निधि के
सदस्यों की संख्या (कृपया विभिन्न स्थानों
की एककवार (यूनिटवाइस) ब्यौरा प्रेषित करें ।
यदि आवश्यक हो तो पृथक शीट लगाए

3. न्यासी बोर्ड का गठन

(क) जिस तिथि को वर्तमान बोर्ड
-- का गठन किया गया था उसकी
तिथि

(ख) उसकी अवधि

(ग) न्यासियों की संख्या
(i) कर्मचारी प्रतिनिधि
(ii) नियोक्ता प्रतिनिधि

4. वेतन, अंशदान आदि

(क) पैंशन अंशदान के लिए
दायी कुल वेतन राशि

(ख) पेंशन निधि को अंशदान की दर

(ग) चालू मास हेतु अंतरित की जाने वाली पेंशन अंशदान की राशि

(घ) पूर्व मास के अन्त में न्यासी बोर्ड के लिए यदि कोई देय बकाया राशि है

(ड़) कुल (ग) + (घ)

(च) न्यासी बोर्ड को अंतरित की जाने वाली वास्तविक राशि

(छ) न्यासी बोर्ड को अंतरित करने के लिए यदि कोई बकाया देय है

(ज) क्या निधि को देरी से अंतरण करने के लिए अधिनियम की धारा 7 क्यू के अंतर्गत ब्याज की अदायगी यदि कोई है तो उसे अदा किया गया है

(झ) मास के अन्त में ब्याज की अदायगी जो अभी भी की जानी है

5. पेंशनभोगियों का ब्यौरा

(क) मास के अन्त में पेंशनभोगियों की संख्या

(i) सदस्य (स्वंय) पेंशनभोगी

--- वार्धक्य निवृति पेंशन

--- पूर्व पेंशन

--- अंपगता पेंशन

(ii) पति/पत्नी पेंशनभोगी

--- सेवा में मृत्यु

--- सेवा से बाहर मृत्यु

--- पेंशनभोगी के रूप में मृत्यु

(iii) बाल पेंशनभोगी

--- सामान्य बालक/बालिका

--- विकलांग बालक/बालिका

--- (जीवनकाल पेंशन)

(iv) अनाथ पेंशनभोगी

(v) नामांकित पेंशनभोगी

(vi) आश्रित माता पिता पेंशनभोगी

6. बहिर्गमन मामलों (exit cases) का ब्यौरा

(क) मास के दौरान प्रत्याहरण लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या

(ख) मास के दौरान बहिर्गमन मामले (exit cases) की संख्या जहां स्कीम प्रमाण पत्र जारी किए गए है, को अदा की गई राशि

7. निवेश का ब्यौरा

(क) मास के प्रारम्भ में पेंशन निधि में निवेश राशि

(ख) मास के दौरान प्राप्त राशि

(i) नियोक्ता से अंशदान द्वारा चालू माह बकाया यदि कोई है

(ii) परिपक्व प्रतिभूति/जमा का नकदीकरण

(iii) निवेश पर ब्याज/लाभांश

(iv) अन्य अंतरण मामले

(v) नुकसानी यदि कोई है

(vi) देरी से अदायगी यदि कोई है
तो उस पर ब्याज

(vii) विविध यदि कोई है
कृपया इगिंत करें

(ग) मास के दौरान की गई अदायगी

(घ) मास के दौरान निवेश की गई राशि

प्रतिभूतियॉ

-- केन्द्र सरकार
-- राज्य सरकार
-- अन्य यदि कोई है
-- जमा
-- लोक वित्तीय संस्थान/बैंक

(ड) क्या निवेश पद्धति अपनाई जा रही है

(च) यदि हां तो उसका प्रतिशत बताएं

प्रतिभूतियां

-- केन्द्र सरकार
-- राज्य सरकार
-- अन्य

(ii) जमा

-- लोक वित्तीय संस्थान बैंक

(iii) जीवन बीमा निगम से खरीदी
गई वार्षिकी

(छ) रोकड़ में/बैंक में अनिवेशित राशि

8. वितरण का प्रकार (किसी एक को चिहिन्त करें)

-- बैंक द्वारा
-- डाक घर द्वारा
-- एल आई सी द्वारा वार्षिकी की खरीद कर
-- अन्य यदि कोई है (कृपया इंगित करें)

9. स्थापना पेंशन निधि के नियम संशोधन का ब्यौरा यदि कोई मास के दौरान सांवधिक पेंशन योजना के समतुल्य नियमों को करने के लिए किया गया है (कर्मचारी पेंशन स्कीम 1995)

दिनांक

कार्यालय मोहर के साथ
हस्ताक्षर

48. जी एस आर 749 ई दिनांक 27 सितम्बर 2001
(28 सितम्बर 2001 से लागू)

39 बी <u>अन्तरण मूल्य</u>

यदि स्थापना को छूट प्रदान की जाती है या उस सदस्य के मामले में जो एक छूट प्राप्त स्थापना की निधि से दूसरी छूट प्राप्त पेंशन निधि को या सांवधिक पेंशन निधि या विलोमत स्थानान्तरित होता है तो स्थानान्तरण मूल्य अदायगी की जाएगी जो निम्न प्रकार से होगी

(क) तालिका 'क' अनुसार 15.11.1995 तक पूर्व सेवा अवधि से संबंधित प्रत्याहरण लाभ को छूट प्रदान करने की तिथि/स्थानान्तरण को 16.11.1995 के बीच की अवधि हेतु तालिका ख के घटक से गुणांक किया जाएगा ।

(ख) छूट प्रदान/स्थानान्तरण की तिथि से स्थापना में कार्यग्रहण करने की तिथि से या 16.11.1995 से की गई सेवा हेतु पेंशन योग्य सेवा के लिए अन्तरण मूल्य तालिका 'ई' के अनुसार दिए जाएगें जैसा भी मामला हो ।

(ग) पैरा 39 के अन्तर्गत छूट रद्द होने के मामले में निधि का अन्तरण छूट अधिसूचना में बताई गई शर्तो अनुसार किया जाएगा ।

(49. जी एस आर 430 (ई) दिनांक 19 मई 2003
(23 मई 2003) द्वारा प्रकाशित)

40. केन्द्रीय सरकार को सूचनाँए भेजना . केन्द्रीय बोर्ड जैसा क्न्द्रीय सरकार निर्देश दे उस प्रक्रिया के अनुसार समय-समय पर पेंशन निधि खाते में आय तथा व्यय के बारे में केन्द्रीय सरकार को सूचनाएं भेजेगा ।

41. व्याख्या - इस योजना के किसी प्रावधान की व्याख्या के सम्बन्ध में जहाँ कोई संदेह उठता है, तो उसे केन्द्रीय सरकार को भेजा जाएगा, जो उसे तय करेगी ।

42. विवरणिका आदि प्रस्तुत करने में असफल होने पर सजा - यदि कोई व्यक्ति-

(ए) नियोक्ता के अंशदान को सम्पूर्ण या उसका कोई भाग सदस्य के वेतन या अन्य भुगतान से काटता है या काटने का प्रयास करता है, या

(बी) इस योजना द्वारा आवश्यक विवरणिका, विवरण या अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल होता है या मना करता है या मिथ्या विवरणिका, विवरण या अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करता है या मिथ्या घोषणा करता है, या

(सी) अधिनियम या इस योजना के अन्तर्गत नियुक्त निरीक्षक या अन्य कर्मचारी को उसके कार्यनिवर्हन में बाधा डालता है या ऐसे निरीक्षक या अन्य कर्मचारी द्वारा निरीक्षण के लिए कोई भी अभिलेख (रिकार्ड) प्रस्तुत करने में असफल होता है, या

(डी) इस योजना की किसी भी आवश्यकता की अनुपालना नहीं करने या विपरीत आचरण का दोषी है,

तो वह एक वर्ष तक बढाए जा सकने वाले कारावास या पाँच हजार रूपए तक बढाए जा सकने वाले अर्थदण्ड या दोनों से दण्डित किया जा सकेगा ।

43. हत्या के अपराध में अभियुक्त व्यक्ति को पेंशन का भुगतान -(1)पेंशन निधि के किसी सदस्य की मृत्यु की दओशा में पैराग्राफ 12 या पैराग्राफ 16 के अन्तर्गत मृतक की पेंशन प्राप्त करने का हकदार कोई व्यक्ति यदि सदस्य की हत्या या ऐसा अपराध करने के लिए उकसाने का अभियुक्त हो, तो उसके पेंशन प्राप्त करने का दावे का निपटारा तब तक निलम्बित रखा जाएगा, जब तक कि उसके विरूद्ध प्रारम्भ की गई आपराधिक कार्यवाही का निर्णय नहीं हो जाता ।

(2) पैरा(1) मे संदर्भित आपराधिक कार्यवाही के निर्णय पर यदि सम्बन्धित व्यक्ति-

(ए) सदस्य की हत्या या हत्या के लिए उकसाने का अपराधी पाया जाए, तो वह पेंशन प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा, अपितु वह मृतक सदस्य के परिवार के अन्य सदस्यों को यदि कोई हो तो देय होगें या

(बी) सदस्य की हत्या करने या हत्या के लिए उकसाने के अपराध से निरपराध पाया जाए तो पेंशन उसे देय होगी ।

43 ए - अर्न्तराष्ट्रीय कामगारों के संबंध में

<u>विशेष प्रावधान :-</u> कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम 1952 के पैरा 83 की परिभाषा, अनुसार अर्न्तराष्ट्रीय कामगारों पर निम्नलिखित संशोधन की शर्त पर योजना लागू होगी यथा:-

1) <u>पैरा 2 के खण्ड (xv) हेतु निम्नलिखित खण्ड को प्रतिस्थापित किया जाएगा यथा:-</u>

(xv) पेंशन योग्य सेवा से तात्पर्य अर्न्तराष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा अनुबंध में कवर्ड सदस्य द्वारा की गई सेवा जिसके लिए अंशदान प्राप्त कर लिए गए है या प्राप्त करने है, इस अनुबंध के अर्न्तगत की गई सेवा को पात्रता के लिए विचारणीय माना जा सकता है

2) पैरा 10 के उप पैरा (1) हेतु निम्नलिखित उप पैरा को प्रतिस्थापित किया जाय यथा:-

अर्न्तराष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा अनुबंध द्वारा कवर्ड सदस्य की पेंशन योग्य सेवा का निर्धारण उसकी ओर से कर्मचारी पेंशन निधि को प्राप्त या प्राप्त किए जाने वाले अंशदानों के आधार पर किया जाएगा, संबंधित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के अर्न्तगत की गई सेवा अवधि लाभ के लिए इस अनुबन्ध के अर्न्तगत बताए गए उद्देश्य हेतु जोडा जाएगा ।

।।. पेशन योग्य वेतन का निर्धारण कर्मचारी पेंशन निधि की सदस्यता से सेवा की अंशदान अवधि के दौरान किसी भी रूप में प्राप्त/पीसरेट आधार सहित मासिक वेतन का औसत पेंशन योग्य वेतन होगा ।

(14) पैरा 14 हेतु निम्नलिखित पैरा को प्रतिस्थापित किया जाए यथा:-

14. मासिक सदस्य पेंशन के लिए पात्र होने से पहले सेवा छोड़ने पर लाभ

1) यदि सदस्य भारतीय कर्मचारी नहीं है वह उस देश का रहने वाला है जिसके साथ भारत ने सामाजिक सुरक्षा अनुबंध किया हुआ है उसने 58 वर्ष की आयु होने तक या नौकरी छोड़ने की तिथि पर पैरा 9 के अनुसार निर्धारित पात्र सेवा नहीं की है जो पहले हो वह पारस्परिक आधार पर अनुबंध क अनुसार लाभ का पात्र है ।

2) यदि सदस्य भारतीय कर्मचारी नहीं है वह उस देश का रहने वाला है, जिसके साथ भारत ने सामाजिक सुरक्षा अनुबंध नहीं किया हुआ है उसने 58 वर्ष की आयु होने पर या नौकरी छोड़ने की तिथि पर पैरा 9 के अनुसार निर्धारित पात्र सेवा नहीं की है, जो भी पहले हो वह पैरा 14 के अन्तर्गत पारस्परिकता (reciprocity) के सिद्धान्त पर उस देश में भारतीय कर्मचारियों को मिलने वाले प्रत्याहरण लाभ का पात्र है ।

44. समाप्ति और सुरक्षाएँ -(1) इस योजना के प्रारम्भ के साथ ही उसके प्रारम्भ होने के तत्काल पूर्व तक प्रभावी कर्मचारी परिवार पेंशन योजना, 1971 का 16 नवम्बर, 1995 से जारी रहना समाप्त हो जाएगा ।

(2) पैराग्राफ(1) में किसी बात के बावजूद कर्मचारी परिवार पेंशन योजना 1971 के अन्तर्गत किया गया नामांकन तथा कर्मचारी पेंशन योजना 1971 के उद्देश्य के लिए कर्मचारी के परिवार की जानकारी से सम्बन्धित दिया गया प्रपत्र इस योजना के प्रावधानों के अन्तर्गत किया हुआ माना जाएगा ।

(3) परिवार पेंशन योजना 1971 के अन्तर्गत जारी सभी आदेश/प्राधिकार/पेंशन भुगतान आदेश इस योजना के अन्तर्गत जारी किया हुआ माने जाएगें।

तालिका -क

(देखें पैराग्राफ 14)

(प्रत्याहरण लाभ)

अंशदान दिए गए वर्षों की पूर्ण संख्या	सदस्यता की समाप्ति पर देय वेतन का भाग
(1)	(2)
1	0.20
2	0.41
3	0.62
4	0.84
5	1.06
6	1.29
7	1.51
8	1.75
9	1.98
10	2.23
11	2.47
12	2.72
13	2.98
14	3.24
15	3.51

16	3.78
17	4.05
18	4.34
19	4.62
20	4.92
21	5.21
22	5.52
23	5.83
24	6.14
25	6.46
26	6.79
27	7.12
28	7.46
29	7.81
30	8.16
31	8.52
32	8.89
33	9.26
34	9.64
35	10.03
36	10.43
37	10.83
38	11.24
39	11.66
40	12.08

तालिका -ख

(देखें पैराग्राफ 12 एवं 14)

विद्यमान सदस्यों के नौकरी छोड़ने पर समाप्त परिवार पेंशन के अंतर्गत पिछली सेवा के लाभ की गणना करने के लिए गुणकांक

वर्ष	**गुणकांक**
(1)	**(2)**
1 से कम	**1.039**
2 से कम	**1.122**
3 से कम	**1.212**

4 से कम	**1.309**
5 से कम	**1.413**
6 से कम	**1.526**
7 से कम	**1.649**
8 से कम	**1.781**
9 से कम	**1.923**
10 से कम	**2.077**
11 से कम	**2.243**
12 से कम	**2.423**
13 से कम	**2.616**
14 से कम	**2.826**
15 से कम	**3.052**
16 से कम	**3.296**
17 से कम	**3.560**
18 से कम	**3.845**
19 से कम	**4.152**
20 से कम	**4.485**
21 से कम	**4.843**
22 से कम	**5.231**
23 से कम	**5.649**
24 से कम	**6.101**
25 से कम	**6.589**
26 से कम	**7.117**
27 से कम	**7.686**
28 से कम	**8.301**
29 से कम	**8.965**
30 से कम	**9.682**
31 से कम	**10.457**
32 से कम	**11.294**
33 से कम	**12.197**
34 से कम	**13.173**

51. प्रतिस्थापित जी एस आर 438(ई),दिनांक 10 जून 2008

तालिका ग

(देखें पैराग्राफ 16)

विधवा पेंशन के बराबर

मृत्यु के दिन वेतन इससे अधिक न हो	विधवा पेंशन के बराबर
(1)	(2)
(रुपए)	(रुपए)
300 तक	250
350	327
400	343
450	359
500	375
550	391
600	408
650	425
700	442
750	459
800	476
850	493
900	510
950	527
1000	544
1050	561
1100	578
1150	595
1200	612
1250	629
1300	646
1350	664
1400	682
1450	700
1500	718
1550	736
1600	754
1650	772
1700	797
1750	808

1800	826
1850	844
1900	862
1950	880
2000	898
2050	916
2100	935
2150	954
2200	973
2250	992
2300	1011
2350	1030
2400	1049
2450	1068
2500	1087
2550	1106
2600	1125
2650	1144
2700	1163
2750	1182
2800	1201
2850	1221
2900	1241
2950	1261
3000	1281
3050	1301
3100	1321
3150	1341
3200	1361
3250	1381
3300	1401
3350	1421
3400	1441
3450	1461
3500	1481
3550	1501
3600	1521
3650	1541
3700	1561

3750	1581
3800	1601
3850	1621
3900	1641
3950	1661
4000	1681
4050	1701
4100	1721
4150	1741
4200	1751
4250	1761
4300	1771
4350	1781
4400	1791
4450	1801
4500	1811
4550	1821
4600	1831
4650	1841
4700	1851
4750	1861
4800	1871
4850	1881
4900	1891
4950	1896
5000	1901
5050	1906
5100	1911
5150	1916
5200	1921
5250	1926
5300	1931
5350	1936
5400	1941
5450	1946
5500	1951
5550	1956
5600	1961
5650	1966

5700	1971
5750	1976
5800	1981
5850	1986
5900	1991
5950	1996
6000	2001
6050	2006
6100	2011
6150	2016
6200	2021
6250	2026
6300	2031
6350	2036
6400	2041
6450	2046
6500	2051

तालिका घ

(देखें पैराग्राफ 14)

नौकरी छोड़ने पर अंशदान की वापसी

सेवा के वर्ष	छोड़ने के समय के वेतन का भाग
1	**1.02**
2	**1.99**
3	**2.98**
4	**3.99**
5	**5.02**
6	**6.07**
7	**7.13**
8	**8.22**
9	**9.33**
नोट : उपर्युक्त तालिका लाभ में समान परिवर्धन पर आधारित है	

तालिका ड.

(देखें पैराग्राफ 39-ख)

(कर्मचारी पेंशन योजना-1995 से छूट-प्राप्त या अन्य पेंशन निधि में अंशदान का अंतरण या इसके विपरीत)

अंशदान अवधि के पूर्ण वर्षों की संख्या	अंतिम अंशदान माह पर देय वेतन का भाग
1	0.978
2	1.979
3	3.003
4	4.051
5	5.124
6	6.221
7	7.345
8	8.494
9	9.671